अध्याय 15
मैनुअल 14
कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए विभिन्न नियम एवं विनियम बनाए जाते हैं। विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने निष्पादन के मानक (स्टैण्डर्ड ऑफ परफोरमेंस) निर्धारित किए हैं।

राजस्थान राज्य विधुत विनियामक आयोग :–

जयपुर डिस्कॉम के लिये नीति निर्धारण, नियमों आदि का निर्माण, टैरिफ का निर्धारण, विभिन्न प्रकार के शुल्कों का निर्धारण आदि कार्य राजस्थान राज्य विधुत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता हैं। टैरिफ दर, अन्य प्रकार के शुल्क अथवा अन्य मामलों में जयपुर डिस्कॉम के निर्णयों से संतुष्ट न होने पर राजस्थान राज्य आयोग में निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ नियमानुसार याचिका दायर की जा सकती है।

ACTIVITIES

A. RERC related works.

S.No. Particulars

1. Monthly information related to sales & purchase of Energy.
2. Progress report.
    a. Purchase of meter & replacement of stopped & defective meter.
    b. Conversion of flat rate agriculture to maternal category.
    c. T&D losses & circle wise sale of energy.
    d. Incentive and surcharge paid to consumers for power factor and installation of capacitors
    e. Release of new connection.
    f. Issue of Ist bills.
    g. Progress of Vigilance checking.
    h. Progress of action plan for reduction of T&D losses.
5. Redressal of consumers grievance as per SOP information in format P 1 to P 7.
6. Annual accounts report.
7. Submission of ARR to RERC following formats are to be submitted.
    1. Past trend of energy sales.
    2. Category wise consumption status.
    3. Hrs. of supply to Agg. Flat rate consumer.
    4. Basis for Aggri. Metered consumers.
    5. Basis for Agg. Flat rate consumers.
    6. Power purchase from various sources.
    7. Power purchase cost.
    8. Operation and Maintenance expenses.
    9. Financial charges & lease rentals for operation.
    10. Provisions of depreciations.
    11. Capital base consumption.
    12. Projected revenue from existing tariff.
    13. Revenue deficit.
    14. Capital investment.
    15. Status of pending applications.

    Status of stopped defective meters.

Following formats as prescribed by RERC are required to be submitted to RERC.

1. Co2/Form 1.1/Disco statement of clear profit return on capital base equity.
2. Co2 Form 2.1/Disco Revenue from sale of power.
3. Co2/Form 2.2/Disco Income from investment & other non tariff income.
4. Co2/Form 2.3/Disco Revenue subsidy & G rent.
5. Co2/Form 3.1/Disco cost of power purchase.
6. Co2/Form 3.2/Disco operation repair & maintenance.
7. Co2/Form 3.3/Disco Establishment cost.
8. Co2/Form 3.4/Disco Administrative & general expenses.
9. Co2//Form 4.1/Disco Fixed assets & provisions for depreciation.
10. Co2/Form 4.2/Disco Loan repayment & internal liabilities.
11. Co2/Form 4.3/Disco Information of cash & bank balance.
12. Co2/Form 4.4/Disco Consolidated reports on capital works in progress.
13. Co2/Form 4.5/Disco Consolidated report on addition to fixed assets.
14. Co2/Form 4.6/Disco Project wise/scheme wise capital expenditure.
15. Co2/Form 4.7/Disco Information on inventory.
16. Co2/Form 4.8//Disco Information on capital.
17. Co2/Form 4.9/Disco General (other debits, writs offs/& others).
18. Co2/Form 4.10/Disco Contribution, Grant subsidy.
19. Co2/Form 4.11/Disco Income Tax provision.
20. Co2/Form 5.1/Disco Working capital requirement.
21. Co2/Form 5.1/Disco Proposed improvement in performance.
22. Annual report of accounts for the previous year (audited) is also to be submitted to RERC.

B. Commercial & related matters.

I. Meeting of Executive Engineer of Important Industrial Areas	Input Source
1. Statement of energy consumption & its variation	XEN (O&M) of concerned Area
2. Industrial area wise losses	XEN (O&M) of concerned Area
3. Feeder wise losses & ind. Area	XEN (O&M) of concerned Area
3. Position of pending application of ind. Area	XEN (O&M) of concerned Area
4. Position of o/s amount of regular consumer	XEN (O&M) of concerned Area
6. Position of assessment & realization & outstanding with their variation in ind. Area	XEN (O&M) of concerned Area
7. Position of o/s against PDC consumer	XEN (O&M) of concerned Area
8. System interruptions & reliability index of ind. Area	XEN (O&M) of concerned Area
9. Details of meeting of State Level Empowered Committee-information regarding pending industries category connection of all the three Discoms.	XEN(RA&R)

(C) Other Works

1. Consumer correspondence from load reduction, load extension, name change etc. work of JCC & Kota Circle.
2. Correspondence for metering code, gride code, sop & Various fees of tariff petitions.
3 RERC regulations for provided to circle officer from field staff.
4. Consumers grievance received from RERC
5. Reply of objections on various petition for submitting to RERC

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

राजस्थान विद्युत् विनियामक आयोग

(विद्युत् प्रदाय कोड और संबंधित मामले)

विनियम, 2004

रावितिआ (प्रदाय कोड और संबंधित मामले) विनियम

अनुक्रमणिका

1. संक्षिप्त नाम,लागू होना और प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ
3. प्रदाय की प्रणाली
4. उपभोक्ताओं के प्रवर्ग और सेवा का स्वरूप
5. प्रदाय का बिन्दु
6. प्रदाय के लिए आवेदन
7. प्रदाय जहाँ मुख्य वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता न हो
8. प्रदाय जहाँ मुख्य वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता हो
9. प्रदाय जहाँ नया उपकेन्द्र कमीशन किया जाना है
10. उन परिक्षेत्रों में प्रदाय जहाँ प्रदाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है
11. प्रदाय जहाँ आवेदक द्वारा विद्युत् लाइन/संयंत्र उपलब्ध कराया गया है
12. कनेक्शनों के जारी किये जाने में पूर्विकता
13. आवेदन का प्रत्याहरण
14. आवेदक की ओर से प्रदाय लेने में हुआ विलम्ब
15. विनिर्दिष्ट समय में शिथलीकरण
16. प्रदत्त विद्युत् के लिए प्रतिभूति
17. प्रतिभूति–राशि का वार्षिक पुनर्विलोकन
18. अतिरिक्त प्रतिभूति
19. अतिरिक्त प्रतिभूति का समायोजन
20. विद्युत् मीटर के लिए प्रतिभूति
21. ब्याज का संदाय
22. प्रतिभूति का संदाय करने में विफलता
23. प्री–पेड मीटर के माध्यम से प्रदाय
24. प्रतिभूति का प्रतिदाय
25. मीटर के माध्यम से प्रदाय
26. विद्युत् प्रभार और मूल्य
27. मीटर का पठन
28. मीटर की अगम्यता
29. बन्द, खो गये या चुरा लिये गये मीटर के मामले में निर्धारण
30. त्रुटिपूर्ण मीटर
31. मीटर का प्रतिस्थापन
32. चैक मीटर
33. खोया हुआ मीटर
34. प्रदाय के प्रभारों की वसूली
35. अनुज्ञप्तिधारी को संदाय
36. विलम्बित संदाय–अधिभार
37. अतिरिक्त राशि का प्रतिदाय
38. प्रदाय का डिस्कनेक्शन
39. पिछली बकायाओं की वसूली
40. प्रदाय का प्रत्यावर्तन
41. विद्युत् संयंत्र आदि के साथ गड़बड़ करना, उसे संकट में डालना या नुकसान पहुँचाना
42. परिसर में प्रवेश करने की अनुज्ञप्तिधारी की शक्ति
43. कनेक्ट किये गये लोड/मांग में वृद्धि
44. सामान्य

अनुसूची

1. आवेदन शुल्क

2. विद्युत् लाइन/संयंत्र उपलब्ध कराने और मुख्य वितरण प्रणाल और/या सर्विस लाइन के विस्तार के लिए व्यय
   (1) आवेदन के साथ जमा करायी जाने वाली राशि
   (2) मुख्य वितरण प्रणाल/प्रदाय लाइन के विस्तार के लिए मांग पर जमा करायी जाने वाली अतिरिक्त रकम

3. मीटरों के लिए प्रतिभूति

4. सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से प्रतिभूति निक्षेप

5. किराया प्रभार
   (1) मीटर किराया
   (2) ट्रांसफार्मर किराया
   (3) अन्य उपकरण

6. अस्थायी कनेक्शन के लिए लाइन और संयंत्र प्रभार
   (1) नियत प्रभार
   (2) लाइन की लागत के लेखे प्रभार
   (3) ट्रांसफार्मर के लेखे प्रभार

7. रिकनेक्शन प्रभार

उपाबन्ध

उपाबन्ध–1 कनेक्टेड लोड के अवधारण के लिए प्रक्रिया

राजस्थान विद्युत् विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, 9 जून, 2004

सं.राविविआ/सचिव/रेगू/26–विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 43 से 48,50,55 और 56 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान विद्युत् विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ

(1) ये विनियम

'राजस्थान विद्युत् विनियामक आयोग
(विद्युत् प्रदाय कोड और संबंधित मामले) विनियम, 2004'

कहे जायेंगे।

(2) ये विनियम राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होंगे।
(3) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ

जब तक विषयवस्तु या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) 'अधिनियम' से विद्युत् अधिनियम, 2003 अभिप्रेत होगा।

(2) 'कनेक्टेड लोड' से, उपभोक्ता के परिसर में ऊर्जा का उपभोग करने वाले उन सभी साधनों की रेटेड क्षमताओं का योग अभिप्रेत होगा जिन्हें एक साथ चलाया जा सकता है । किसी प्रभार की लेवी के प्रयोजन के लिए और प्रदाय वोल्टेज को विनिश्चित करने के लिए, एलटी उपभोक्ता के मामले में कनेक्टेड लोड का अवधारण, **उपाबन्ध–1** में विहित रीति के अनुसार किया जायेगा।

(3) 'संविदा मांग' से केवीए में की गयी वह मांग अभिप्रेत होगी जिसके लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और जिस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सहमत हुआ गया है।

(4) 'संस्थापन' से विद्युत् तारों, फिटिंगों, मोटरों और उपभोक्ता द्वारा या उसकी ओर से, उसके परिसर में परिनिर्मित और वायर किये हुए साधित्र का कुल योग अभिप्रेत होगा।

(5) 'एल–फार्म' से विद्युत् निरीक्षक द्वारा अनुज्ञप्त किसी विद्युत् संविदाकार द्वारा यह प्रमाणित करने वाला प्रमाण–पत्र कि परिसर में संस्थापित उपकरण और वायरिंग भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार हैं, या ऐसा कोई अन्य प्रमाण–पत्र अभिप्रेत होगा जिसकी अपेक्षा अधिनियम की धारा 53 के अधीन प्राधिकरण द्वारा विरचित विनियमों के अधीन की जाये।

(6) 'अनुज्ञप्तिधारी' से इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत होगा।

(7) 'अधिकतम मांग' से, माह के दौरान, अधिकतम उपयोग के 30 या 15 मिनट की किसी अविरत अवधि के दौरान, उपभोक्ता के प्रदाय के बिन्दु पर परिदत्त वह औसत केवीए अभिप्रेत होगा जो आयोग के अनुमोदन से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(8) 'अनुसूची' से इन विनियमों से संलग्न, उपभोक्ता से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उद्ग्रहण के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत विभिन्न प्रभारों और किरायों को उपदर्शित करने वाली अनुसूची अभिप्रेत होगी।

इन विनियमों में प्रयुक्त और इनमें परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो विद्युत् अधिनियम, 2003 के अधीन उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. प्रदाय की प्रणाली

(1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त आल्टरनेटिंग करंट(एसी) का वोल्टेज निम्नलिखित होगाः

क) लो टेंशन (एलटी) प्रदाय

i) सिंगल फ़ेज, प्रत्येक फ़ेज और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट।
ii) तीन फ़ेज, फ़ेजों के बीच 400 वोल्ट।

ख) हाई टेंशन(एचटी) प्रदाय

i) तीन फ़ेज, फ़ेजों के बीच 11,000 वोल्ट(11 केवी)
ii) तीन फ़ेज, फेजों के बीच 33,000 वोल्ट(33 केवी)

ग) अतिरिक्त हाई टेंशन(ईएचटी) प्रदाय

i) तीन फ़ेज, फ़ेजों के बीच 1,32,000 वोल्ट (132 केवी)
ii) तीन फ़ेज, फ़ेजों के बीच 2,20,000 वोल्ट (220 केवी)

(2) प्रदाय की फ्रीक्वेंसी 50 हट्र्ज होगी।

(3) प्रदाय के वोल्टेज और फ्रीक्वेन्सी में भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के नियम 54 और 55 के अनुसार अनुज्ञेय फेरफार हो सकेगा। जब केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से सम्बन्धित विनियम जारी कर देगा, तब इनका अधिचलन उन विनियमों द्वारा ही किया जायेगा।

4. उपभोक्ताओं के प्रवर्ग और सेवा का स्वरूप

उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्गों के लिए सेवा का स्वरूप निम्नलिखित होगा

उपभोक्ता का प्रवर्ग	सेवा का स्वरूप	
क) घरेलू	i) 5 केडब्ल्यू तक कनेक्टेड लोड	i) एल टी सिंगल फेज़
	ii) 5 केडब्ल्यू से अधिक कनेक्टेड लोड	ii) एल टी तीन फेज़
	iii) अन्य जिनमें विशाल भवन/कम्प्लैक्स और 50 केवीए से अधिक की संविदा/वास्तविक मांग वाले उपभोक्ता सम्मिलित हैं।	iii)एचटी 11 केवी या 33 केवी, जो भी साध्य हो
ख) अघरेलू	i) 5 केडब्ल्यू तक कनेक्टेड लोड	i) एल टी सिंगल फेज़
	ii) 5 केडब्ल्यू से अधिक कनेक्टेड लोड	ii) एल टी तीन फेज़

	iii) अन्य जिनमें विशाल भवन/कम्प्लैक्स और 50 केवीए से अधिक की संविदा/वास्तविक मांग वाले उपभोक्ता सम्मिलित हैं।	iii)एचटी 11 केवी या 33 केवी, जो भी साध्य हो
ग) सार्वजनिक सड़कों की प्रकाश व्यवस्था	सभी सेवाएं	एलटी सिंगल फेज़ या तीन फेज़
घ) कृषि	सभी सेवाएं	एलटी तीन फेज़
ड.) लघु उद्योग	i) 5 केडब्ल्यू तक कनेक्टेड लोड	i) एल टी सिंगल फेज
	ii) 5 केडब्ल्यू से अधिक किन्तु 18.65 केडब्ल्यू (25 एचपी) तक कनेक्टेड लोड	ii) एलटी तीन फेज़
च) मध्यम उद्योग	i) 18.65 केडब्ल्यू (25 एचपी) से अधिक और 112 केडब्ल्यू (150 एचपी) तक कनेक्टेड लोड, किन्तु संविदा/ वास्तविक मांग 50 केवीए तक रहती है	i) एलटी तीन फेज
	ii) 18.65 केडब्ल्यू (25 एचपी) से अधिक और 112 केडब्ल्यू (150 एचपी) तक कनेक्टेड लोड, किन्तु संविदा/ वास्तविक मांग 50 केवीए से अधिक और 125 केवीए तक रहती है	ii) एचटी 11 केवी
छ) वृहत् उद्योग (रेल्वे ट्रेक्शन के अतिरिक्त)	i) 112 केडब्ल्यू (150 एचपी) से अधिक कनेक्टेड लोड, और/या 125 केवीए से अधिक किन्तु 1500 केवीए तक की संविदा/वास्तविक मांग	i) एचटी 11 केवी
	ii) संविदा/वास्तविक मांग 1500 केवीए से अधिक किन्तु 5000 केवीए तक की है	ii) एचटी 33 केवी
	iii) 5000 केवीए से अधिक की संविदा/वास्तविक मांग	iii) ईएचटी 132 केवी या 220 केवी
ज) मिश्रित लोड	i) 5 केडब्ल्यू तक कनेक्टेड लोड	i) एल टी सिंगल फेज़
	ii) 5 केडब्ल्यू से अधिक कनेक्टेड लोड किन्तु संविदा/वास्तविक मांग 50 केवीए तक रहती है	ii) एल टी तीन फेज़
	iii) कनेक्टेड लोड 5 केडब्ल्यू से अधिक और संविदा/वास्तविक मांग 50 केवीए से अधिक किन्तु 1500 केवीए तक है	iii) एचटी 11 केवी

	iv) संविदा/वास्तविक मांग 1500 केवीए से अधिक किन्तु 5000 केवीए तक है	iv) एचटी 33 केवी
	v) संविदा/वास्तविक मांग 5000 केवीए से अधिक	v) ईएचटी 132 केवी या 220 केवी
झ) रेल्वे ट्रेक्शन	संविदा/वास्तविक मांग 5000 केवीए से अधिक	वृहत् उद्योग उपभोक्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट वोल्टेज पर फ़ेज टू फ़ेज प्रदाय

नोटः

i) यदि कोई विद्यमान कनेक्शन उपर्युक्त सूची से भिन्न है तो उसे, एलटी प्रदाय का उपभोग करने वाले उपभोक्ता के मामले के सिवाय, जो कि एचटी प्रदाय के प्रवर्ग में आता है या एचटी उपभोक्ता के मामले के सिवाय, जो कि ईएचटी उपभोक्ता प्रवर्ग में आता है, उपभोक्ता के निवेदन पर ही परिवर्तित किया जायेगा। ऐसे मामले में, अनुज्ञप्तिधारी, जहाँ भी साध्य हो, 30 से अन्यून दिन का नोटिस देने के पश्चात, सेवा के स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा।

ii) 3 बीएचपी से अधिक की मोटर वाले कनेक्शन के लिए 3 फ़ेज प्रदाय, दिया जायेगा।

iii) उस परिसर की दशा में जिसमें विद्युत् का प्रदाय चाहा गया है, और ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध कराया जाना है और यदि सार्वजनिक भूमि पर ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था करने के लिए स्थान नहीं है तो, स्थान, उपभोक्ता द्वारा परिसर में उपलब्ध कराया जायेगा।

iv) अनुज्ञप्तिधारी, आपवादिक परिस्थितियों में उपभोक्ता को किसी वोल्टेज स्तर से एक प्रक्रम ऊपर या एक प्रक्रम नीचे, प्रदाय स्वीकृत कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी घरेलू या अघरेलू उपभोक्ता को, 5 केडब्ल्यू से कम के कनेक्टेड लोड पर भी तीन फ़ेज प्रदाय दे सकेगा।

5. प्रदाय का बिन्दु

जब तक अन्यथा तय न हुआ हो, प्रदाय का बिन्दु निम्नलिखित के आऊटगोईंग टर्मिनलों पर होगा :–

क) एलटी उपभोक्ता के मामले में मीटर और
ख) एचटी या ईएचटी उपभोक्ता के मामले में मीटरिंग के बिन्दु को विचार में लाये बिना स्विचगियर, जिसे उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित किया जा सकता है।

6. प्रदाय के लिए आवेदन

(1) विद्युत् के प्रदाय की अपेक्षा रखने वाला किसी परिसर का स्वामी या अधिभोगी ऐसे परिसर में विद्युत् के प्रदाय के लिए ऐसे अधिकारी से आवेदन कर सकेगा जिसे अनुज्ञप्तिधारी इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट करे। आवेदन, आयोग के अनुमोदन से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विहित प्ररूप में होगा।

(2) आवेदक, अपने आवेदन के साथ आवेदन शुल्क जमा करायेगा और जहाँ वह अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत् लाइन या विद्युत् संयंत्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा करता है, वहाँ वह ऐसा प्रदाय करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली ऐसी विद्युत् लाइन या विद्युत् संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए अनुसूची में प्राधिकृत व्ययों को भी जमा करायेगा।

(3) यदि अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक से उस धन के संदाय के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है जो कि
(क) प्रदत्त विद्युत् की बाबत या
(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विद्युत् मीटर की बाबत उसे देय हो सकती है, तो आवेदक, अपने आवेदन के साथ–साथ इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति राशि भी जमा करायेगा।

(4) आवेदन के साथ 'एल' फार्म का एक प्रमाण–पत्र या आवेदक के संस्थापन के संबंध में विद्युत् निरीक्षक द्वारा विहित कोई अन्य अपेक्षित वस्तु भी होगी।

(5) जहाँ किसी परिसर में विद्युत् का प्रदाय करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के परिसर का उपयोग सेवा लाइन उपलब्ध कराने के लिए करना है या कि सेवा लाइन किसी अन्य व्यक्ति के परिसर के ऊपर से या जमीन के नीचे से गुजारी जानी है, वहाँ आवेदक अपने आवेदन के साथ ऐसे व्यक्ति की सम्मति संलग्न करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी आवेदक से प्राप्त आवेदन/एल–फार्म की रसीद जारी करेगा। यदि आवेदन किसी भी विषय में अपूर्ण है, तो अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर, आवेदक को सभी कमियों की, जिनमें एल–फार्म का संलग्न न होना भी सम्मिलित है, सूचना देगा।

(7) यदि आवेदक कृषि कनेक्शन के लिए या एचटी प्रदाय के लिए, आवेदन के पश्चात्, एल–फार्म पृथकतः देता है, तो आवेदक उसकी फोटो/जीरोक्स प्रति पर, अनुज्ञप्तिधारी से रसीद प्राप्त कर सकेगा।

(8) आवेदन प्ररूप, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुफ्त प्रदान किया जायेगा या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

7. प्रदाय जहाँ मुख्य वितरण प्रणाल के विस्तार की आवश्यकता न हो

जहाँ मुख्य वितरण प्रणाल का विस्तार या नये उपकेन्द्रों का कमीशन किया जाना अन्तर्वलित नहीं है वहां अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 6 में जैसा उल्लिखित है, पूरित आवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर आवेदक के संस्थापन का निरीक्षण करेगा और कनेक्शन जारी करेगा।

स्पष्टीकरण (1) यदि किसी परिसर में विद्युत् का एलटी प्रदाय किसी शिरोपरि लाइन या भूमिगत केबल से, जहाँ केबल बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, पिलर बॉक्स आदि उपलब्ध कराया गया हो, विद्यमान सेवा लाइन के द्वारा या 50 मीटर तक की सेवा लाइन डालकर उपलब्ध कराया जा सकता है तो मुख्य वितरण प्रणाल में किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं समझी जायेगी।

(2) किसी परिसर में विद्युत् के एचटी प्रदाय के मामले में, वितरण प्रणाली में वृद्धि की आवश्यकता समझी जायेगी और खण्ड 8 और 9 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

8. प्रदाय जहाँ मुख्य वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता हो

(1) खण्ड 6 में उपबन्धित आवेदन की प्राप्ति के पश्चात्, यदि अनुज्ञप्तिधारी यह पाता है कि, उस परिसर तक जिसके लिए आवेदन किया गया है, विद्युत् प्रदाय के लिए मुख्य वितरण प्रणाल के विस्तार की आवश्यकता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे विस्तार के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त व्ययों की, यदि कोई हों, गणना करेगा, और आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति से एक माह के भीतर आवश्यक विस्तार की और ऐसे विस्तार को उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त रकम की सूचना देगा।

(2) जहाँ मुख्य वितरण प्रणाली में विस्तार आवश्यक है किन्तु कोई अतिरिक्त रकम जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां अनुज्ञप्तिधारी, पंद्रह दिनों के भीतर, विस्तार कार्य को पूरा करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक से उस अतिरिक्त रकम को जिसकी गणना और सूचना उप खण्ड (1) के अधीन दी गयी है, एक माह की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा कराने की अपेक्षा कर सकेगा जो अनुज्ञप्तिधारी स्वीकृत करे।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक द्वारा अतिरिक्त रकम जमा करा दिये जाने के पश्चात् विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर मुख्य वितरण प्रणाल के विस्तार को पूरा करेगाः

(i)	एल टी लाइन		15 दिन
(ii)	11 केवी लाइन	पहले 5 किमी तक	30 दिन
		अगले प्रत्येक 5 किमी	15 दिन
(iii)	33 केवी लाइन	पहले 5 किमी तक	60 दिन

		अगले प्रत्येक 5 किमी	30 दिन
(iv)	132 केवी लाइन	पहले 5 किमी तक	180 दिन
		अगले प्रत्येक 5 किमी	45 दिन

(5) विस्तार कार्य के पूरे हो जाने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी पंन्द्रह दिनों के भीतर संस्थापन का निरीक्षण कर कनेक्शन जारी करेगा।

9. <u>प्रदाय जहाँ नया उपकेन्द्र कमीशन किया जाना है</u>

(1) यदि, जिस परिसर में विद्युत् का प्रदाय किये जाने के लिए आवेदन किया गया है, उसके लिए उपकेन्द्र कमीशन किये जाने की आवश्यकता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित विनिधान योजना के अनुसार, नये उपकेन्द्र पर काम शुरू कर देगा और आवेदन की प्राप्ति के दो माह के भीतर, कार्य के प्रारम्भ के दिनांक की सूचना उपभोक्ता को देगा और कार्य के प्रारम्भ से, विभिन्न उपकेन्द्रों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट समय के भीतर, कार्य को पूरा करेगाः

(i)	11/0.4 केवी एस/एस	30 दिन
(ii)	33/11 केवी एस/एस	120 दिन
(iii)	33/11 केवी एस/एस पर बे का विस्तार	30 दिन
(iv)	132/33/11 केवी एस/एस	12 माह
(v)	132 केवी एस/एस पर बे का विस्तार	45 दिन

(2) उपकेन्द्र के कार्य के प्रारम्भ के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर सूचित करेगा कि क्या ऐसा प्रदाय किये जाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विद्युत् लाइन या विद्युत् संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदक द्वारा अनुसूची में प्राधिकृत कोई अतिरिक्त रकम जमा करायी जानी है।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक से अतिरिक्त रकम को, एक माह की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो अनुज्ञप्तिधारी स्वीकृत करे, जमा कराने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) (क) जहाँ आवेदक के द्वारा, विद्युत् लाइन या विद्युत् संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए कोई अतिरिक्त रकम जमा नहीं करायी जानी है वहाँ अनुज्ञप्तिधारी उपकेन्द्र के कमीशन किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर उपभोक्ता के संस्थापन का निरीक्षण कर कनेक्शन जारी करेगा।

(ख) जहाँ उपखण्ड (2) में जैसा सूचित किया गया है, विद्युत् लाइन या विद्युत् संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदक द्वारा अतिरिक्त रकम जमा करायी जानी है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी, खण्ड 8 के उपखण्ड (4) और (5) के अनुसार या उप–केन्द्र के कमीशन किये जाने के पंद्रह दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, विस्तार–कार्य को पूरा करेगा और उपभोक्ता के संस्थापन का निरीक्षण कर कनेक्शन जारी करेगा।

10. <u>उन परिक्षेत्रों में प्रदाय जहाँ प्रदाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है</u>

यदि विद्युत् का प्रदाय किसी ऐसे गांव,पुरवे या क्षेत्र में चाहा गया है जहाँ विद्युत् के प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित विनिधान योजना के अनुसार, ऐसे परिक्षेत्र में विद्युतीकरण की व्यवस्था करेगा। एक बार ऐसे परिक्षेत्र के विद्युतीकरण के पूरे हो जाने पर, आवेदक को, खण्ड 7 से लेकर 9 तक के उपबन्धों, जो भी उस पर लागू हों, के अनुसार, प्रदाय उपलब्ध कराया जायेगा।

11. प्रदाय जहाँ आवेदक द्वारा विद्युत् लाइन/संयंत्र उपलब्ध कराया गया है

(1) जहाँ आवेदक विद्युत् लाइन या विद्युत् संयंत्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा अनुज्ञप्तिधारी से नहीं करता वरन् वह स्वयं उन्हें उपलब्ध कराना पसंद करता है वहाँ वह उन व्ययों के केवल 15: का ही, पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में संदाय करेगा, जिन्हें ऐसा प्रदाय उपलब्ध कराने के लिए अनुसूची के अधीन, अनुज्ञप्तिधारी वसूल करने के लिए प्राधिकृत है। अनुज्ञप्तिधारी आवेदक के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और तकनीकी मामलों और सुरक्षा से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन देगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक द्वारा विद्युत् लाइन या विद्युत् संयंत्र से संबंधित कार्य के पूर्ण होने से संबंधित सूचना दिये जाने से पंद्रह दिनों के भीतर, खण्ड 6 से लेकर 9 तक के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विद्युत् का प्रदाय उपलब्ध करायेगा।

(3) जहाँ आवेदक, विद्युत् के प्रदाय के लिए आवश्यक विद्युत् लाइन या संयंत्र स्वयं ही उपलब्ध कराता है, वहाँ, अनुसूची में उल्लिखित ऐसी लाइन और संयंत्र के व्ययों का संदाय करने की अपेक्षा उससे नहीं की जायेगी।

12. कनेक्शनों के जारी किये जाने में पूर्विकता

अनुज्ञप्तिधारी, खण्ड 7, 8 और 9 के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं के लिए, प्रत्येक उपभोक्ता प्रवर्ग के लिए एक पूर्विकता रजिस्टर उपखण्डवार/परिक्षेत्रवार रखेगा और उपभोक्ताओं को उनकी अलग–अलग पूर्विकता के अनुसार, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कनेक्शन जारी करेगा।

13. आवेदन का प्रत्याहरण

(1) यदि कोई व्यक्ति विद्युत् के प्रदाय के लिए आवेदन करने के पश्चात् अपने आवेदन का प्रत्याहरण कर लेता है या प्रदाय लेने से इनकार कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को आवेदन शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा। किन्तु खण्ड 6 के उपखण्ड (3) के अधीन संदत्त प्रतिभूति की रकम का प्रतिदाय विद्युत् लाइन और विद्युत् संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए संदत्त व्ययों के 50: के साथ, उसे कर दिया जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत समय के भीतर, मुख्य वितरण प्रणाल के विस्तार के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि जमा कराने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, उसे तीस दिन का नोटिस देने के बाद, उसके आवेदन को प्रत्याहृत आवेदन समझेगा।

14. आवेदक की ओर से प्रदाय लेने में हुआ विलंब

(1) जहाँ अनुज्ञप्तिधारी ने किसी आवेदक को विद्युत् का प्रदाय उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्य पूरा कर लिया है किन्तु प्रदाय लेने के लिए आवेदक का संस्थापन तैयार नहीं है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक को एक नोटिस की तामील, ऐसे नोटिस की तामील के साठ दिन के भीतर प्रदाय लेने के लिए, करेगा।

(2) यदि नोटिस की तामील के पश्चात् आवेदक विद्युत् का प्रदाय लेने में असफल रहता है तो, अनुज्ञप्तिधारी, नोटिस के अवसान के पश्चात् से लेकर उस समय तक के संपूरित महीनों के लिए जब कि आवेदक प्रदाय लेता है, आयोग द्वारा उसके उपभोक्ता–प्रवर्ग के लिए अवधारित न्यूनतम प्रभार वसूल कर सकेगा।

15. विनिर्दिष्ट समय में शिथलीकरण

खण्ड 6 से लेकर 9 तक में, अनुज्ञप्तिधारी के लिए कतिपय कार्यों को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट समय शिथिलीकृत हो सकेगा यदि अनुज्ञप्तिधारी को अपने कार्यों को पूरा करने से भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, तूफान आदि के जैसे उसके नियन्त्रण से बाहर के कारणों के द्वारा या विधि के किसी कार्य के द्वारा रोक दिया जाये।

(1) विद्युत् के सभी प्रदाय, आयोग द्वारा अनुमोदित मीटरिंग कोड के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार किसी सही मीटर के संस्थापन के माध्यम से किये जायेंगे।

परन्तु उन कृषि उपभोक्ताओं को, जिन्हें इन विनियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक को विद्युत् का प्रदाय, मीटर के माध्यम से अन्यथा किया जा रहा था, विद्युत्

16. प्रदत्त विद्युत् के लिए प्रतिभूति

(1) अनंतिम प्रतिभूति

अनुज्ञप्तिधारी को उस धन के संदाय के लिए जो कि खण्ड 6 के अधीन विद्युत् के प्रदाय के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदत्त विद्युत् के सम्बन्ध में, उसे देय हो सकती है, प्रतिभूति की अंनतिम राशि होगीः

(क) घरेलू, अघरेलू और पब्लिक स्ट्रीट लाईट उपभोक्ताओं द्वारा आवेदित कनेक्टेड लोड के क्रमशः 100रु. /केडब्ल्यू, 200रु./केडब्ल्यू और 300रु./केडब्ल्यू के आधार पर निकाली गयी राशि के समतुल्य।

(ख) अन्य उपभोक्ता–प्रवर्ग के लिए आयोग द्वारा किये गये अवधारण के अनुसार, दो माह की न्यूनतम बिलिंग के समतुल्यः

परन्तु उन औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले में, जिन्होंने पाक्षिक बिलिंग का विकल्प दिया है, प्रतिभूति की अनंतिम राशि डेढ़ माह की न्यूनतम बिलिंग–राशि के समतुल्य होगी।

(2) अंतिम प्रतिभूति

(क) प्रारम्भिक रूप से जमा करायी गयी प्रतिभूति की अनंतिम राशि का पुनर्विलोकन प्रदाय के प्रारम्भ के पश्चात् के प्रथम बारह महीनों के औसत मासिक उपभोग के आधार पर किया जायेगा और उपखण्ड (1) के अधीन दी गयी प्रतिभूति में कमी, यदि कोई हो, की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जायेगी और उसे उपभोक्ता द्वारा जमा कराया जायेगा।

(ख) मौसमी उद्योगों के मामले में, प्रतिभूति की राशि मौसम की अवधि के दौरान के दो माह की औसत बिलिंग के समतुल्य होगी।

(3) स्वामी से भिन्न किसी उपभोक्ता से प्रतिभूति

किसी परिसर के स्वामी से भिन्न किसी उपभोक्ता से ली जाने वाली प्रतिभूति की राशि, इस खण्ड में उल्लिखित राशि की दुगुनी होगी।

17. प्रतिभूति–राशि का वार्षिक पुनर्विलोकन

अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता पर लागू होने वाली अवधि के वास्तविक औसत उपभोग को पूर्ववर्ती बारह माह के विद्युत् के उसके औसत वास्तविक उपभोग के आधार पर समाविष्ट करने के लिए, उससे ली गयी प्रतिभूति की आवश्यकता का पुनर्विलोकन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कर सकेगा और उपभोक्ता को सूचित करेगा।

18. अतिरिक्त प्रतिभूति

यदि खण्ड 17 के अधीन के वार्षिक पुनर्विलोकन के आधार पर किसी उपभोक्ता द्वारा दी गयी प्रतिभूति को अपर्याप्त हो गया पाया जाता है और इस प्रकार निकाली गयी राशि और अनुज्ञप्तिधारी के पास पहले ही जमा करा दी गयी प्रतिभूति के बीच का अन्तर, 500 रु. या विद्यमान प्रतिभूति के 10:ए जो भी अधिक हो, से अधिक है तो, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को एक नोटिस अन्तर की राशि को नोटिस की तामील के 30 दिनों के भीतर जमा कराने के लिए देगा।

19. अतिरिक्त प्रतिभूति का समायोजन

यदि, खण्ड 17 के अधीन के वार्षिक पुनर्विलोकन के आधार पर किसी उपभोक्ता द्वारा दी गयी प्रतिभूति को अधिक पाया जाता है और इस प्रकार निकाली गयी राशि और अनुज्ञप्तिधारी के पास पहले ही जमा करा दी गयी प्रतिभूति के बीच का अन्तर, 500 रु. या विद्यमान प्रतिभूति के 10:, जो भी अधिक हो, से अधिक है तो, अनुज्ञप्तिधारी, प्रतिभूति के अन्तर को अगले वर्ष के 1 जुलाई से लेकर 30 सितम्बर तक की अवधि के उपभोक्ता के विद्युत् बिलों में, समायोजित करेगा।

20. विद्युत् मीटर के लिए प्रतिभूति

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मीटर के संबंध में प्रतिभूति की राशि, अनुसूची में उल्लेखित किये गये के अनुसार होगी।

21. ब्याज का संदाय

अनुज्ञप्तिधारी, किसी उपभोक्ता की प्रतिभूति जमा पर, वर्ष की 1 अप्रैल को रही भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर की समतुल्य दर पर, ब्याज का संदाय करेगा और वित्तीय वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज की राशि को, अगले वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 सितम्बर तक उपभोक्ता द्वारा संदेय विद्युत् प्रभारों में समायोजित किया जायेगा।

22. प्रतिभूति का संदाय करने में विफलता

अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह उचित समझे तो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो खण्ड 16 के अधीन प्रतिभूति देने में विफल रहा है, विद्युत् का प्रदाय करने से इनकार कर सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो खण्ड 18 के अधीन प्रतिभूति देने में विफल रहा है, विद्युत् का प्रदाय करना उस अवधि तक के लिए बंद कर सकेगा जब तक कि विफलता जारी रहती है। अतिरिक्त प्रतिभूति को जमा कराने में हुई विफलता के कारण विद्युत्–प्रदाय को बंद करने से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को पंद्रह दिन का एक नोटिस देगा।

23. प्री–पेड मीटर के माध्यम से प्रदाय

अनुज्ञप्तिधारी, यदि किसी व्यक्ति को प्रदाय, प्री–पेड मीटर के माध्यम से किया जाता है तो, खण्ड 16 के अधीन किसी प्रतिभूति का हकदार नहीं होगा।

24. प्रतिभूति का प्रतिदाय

अनुज्ञप्तिधारी, खण्ड 16 या 18 और 20 के अधीन ली गयी प्रतिभूति का प्रतिदाय उस व्यक्ति के निवेदन पर जिसने ऐसी प्रतिभूति दी है, विद्युत् के प्रदाय के स्थायी डिस्कनेक्शन पर, डिस्कनेक्शन या प्रतिदाय के आवेदन, जो भी बाद में हो, के दो महीनों के भीतर करेगा। इस प्रयोजन के लिए, जारी किये गये अंतिम बिल पर उपदर्शित राशि को प्रतिभूति जमा राशि का पर्याप्त सबूत समझा जायेगा और किसी अतिरिक्त सबूत की अपेक्षा नहीं होगी।

25. मीटर के माध्यम से प्रदाय

का प्रदाय 31 मार्च 2005 से आगे, इस प्रकार नहीं किया जायेगा।

(2) प्रत्येक दशा में, मीटरिंग केवल भूतल पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) अस्थायी कनेक्शनों को विद्युत् का प्रदाय अधिमानतः प्री–पेड मीटरों के माध्यम से किया जायेगा।

26. विद्युत् प्रभार और मूल्य

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसके द्वारा किये गये विद्युत् के प्रदाय के लिए प्रभार्य मूल्य, आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित टैरिफ के अनुसार होंगे और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उन रीतियों और सिद्धान्तों के अनुसार नियत किये जायेंगे जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त विद्युत् के प्रभार स्थानीय समाचार–पत्रों में इस ढंग से प्रकाशित किये जायेंगे जिससे ऐसे प्रभारों और मूल्यों को पर्याप्त प्रचार मिल सके। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के लाभ के लिए, विद्युत् के प्रदाय के लिए प्रभार्य मूल्यों की पुस्तिका भी, समय–समय पर प्रकाशित करेगा।

27. मीटर का पठन

(1) अनुज्ञप्तिधारी की ओर से, मीटर रीडर या अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपभोक्ता को प्रदत्त विद्युत् की राशि के या प्रदाय में अन्तर्विष्ट विद्युत् की मात्रा के अभिनिश्चयन के लिए मीटर के पठन के प्रयोजन के लिए दिन भर में किसी भी समय उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश कर सकेगा।

(2) मीटरों का पठन प्रत्येक माह या ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा जो अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियत करे।

28. मीटर की अगम्यता

(1) यदि पठन लेने के समय उपभोक्ता के परिसर के ताला लगा है या मीटर अन्यथा अगम्य है, तो अनुज्ञप्तिधारी, पिछले चार महीनों के औसत उपभोग के आधार पर प्रदत्त विद्युत् के लिए प्रभार वसूल कर सकेगा।

(2) यदि मीटर अगले बिलिंग–चक्र में भी अगम्य रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, मीटर के पठन को सुकर बनाने की अपेक्षा सात से अन्यून दिनों के नोटिस के द्वारा उपभोक्ता से कर सकेगा। यदि उपभोक्ता नोटिस का पालन करने में विफल रहे तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् का प्रदाय बन्द कर सकेगा।

(3) उस अवधि के लिए, जिसमें मीटर अगम्य बना रहता है, अनुज्ञप्तिधारी, प्रदत्त विद्युत् के लिए, पिछले चार महीनों के औसत के आधार पर प्रभार ले सकेगा। पठन के लिए मीटर के गम्य हो जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत् के वास्तविक उपभोग के आधार पर प्रभार वसूल कर सकेगा और औसत के आधार पर पहले ही वसूल कर ली गयी रकम को समायोजित कर सकेगा।

29. बन्द खो गये या चुरा लिये गये मीटर के मामले में निर्धारण

(1) यदि मीटर ने किसी भी कारण से कार्य करना बंद कर दिया है या मीटर चुरा लिया गया है या खो गया है तो उस अवधि के लिए विद्युत् के उपभोग की गणना, जिसके दौरान विद्युत् का उपभोग बन्द मीटर से या मीटर के बिना हुआ है, निम्नलिखित रूप से की जायेगीः

(i) मौसमी औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी उपभोक्ता
विद्युत् का उपभोग पिछले वर्ष की तत्सम अवधि के उपभोग के समान या पिछले छह महीनों के औसत उपभोग के समान, जो भी अधिक हो, माना जायेगा।

(ii) मौसमी औद्योगिक उपभोक्ता
विद्युत् का उपभोग पूर्ववर्ती मौसम की तत्सम अवधि या मौसम से इतर तत्सम अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के उपभोग के समान माना जायेगा।

(iii) कृषि उपभोक्ता
मीटर्ड उपभोक्ताओं के स्वीकृत सम्बद्ध भार के समकक्ष फ्लेट रेट की दर से राशि का निर्धारण किया जायेगा

(2) उपखण्ड **(1) के (i) और (ii)** के मामले में, यदि कोई पूर्व अवधि नहीं है, तो उपभोक्ता प्रवर्ग के निमित्त न्यूनतम बिलिंग प्रभार अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा उस अवधि के लिए वसूल किये जायेंगे जिसमें मीटर बंद रहा है। एचटी कनेक्शन के मामले में, सही मीटर के संस्थापन के पश्चात्, निर्धारण का पुनर्विलोकन, पश्चात्वर्ती छह माह की अवधि के औसत उपभोग के आधार पर किया जायेगा और तदनुसार प्रभार लगाया जायेगा।

30. त्रुटिपूर्ण मीटर

(1) यदि उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी को किसी मीटर के ठीक तरह से कार्य न करने का संदेह है, तो वह दूसरे पक्ष को नोटिस दे सकेगा और मीटर के ठीक होने की जाँच अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा मौके पर ही या अपनी जाँच–प्रयोगशाला में की जायेगी। यदि उपभोक्ता ऐसा चाहता है, तो जाँच का प्रबन्ध विद्युत् निरीक्षक या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में किया जायेगा।

(2) मीटर के ठीक न पाये जाने की दशा में, उपभोक्ता से वसूल कर ली गयी अतिरिक्त राशि दो पश्चात्वर्ती बिलों में समायोजित की जा सकेगी। यदि उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त राशि वसूल की जानी है, तो उसे दो पश्चात्वर्ती बिलों में वसूल किया जा सकेगा।

(3) उपखण्ड (2) के अधीन की अधिक या कम राशि का समायोजन या वसूली, जैसी भी स्थिति हो, अंतिम मीटर जाँच से लेकर उस दिनांक तक की अवधि के लिए की जायेगी जिसको जाँच के लिए हटाये जा रहे मीटर को प्रतिस्थापित किया गया है,परन्तु किसी भी दशा में छह महीनों से अधिक के लिए नहीं।

(4) इस खण्ड के अधीन के किसी विवाद की दशा में, विद्युत् निरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा या प्राधिकरण द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये।

31. मीटर का प्रतिस्थापन

(1) किसी बंद/त्रुटिपूर्ण मीटर की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी मीटरिंग प्रणाली का निरीक्षण करेगा और अपने खर्चे पर उसे प्रतिस्थापित करेगा जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि मीटर को किसी भी तरह, जिसमें अतिरिक्त लोड भी सम्मिलित है, उपभोक्ता के द्वारा छेड़ा गया है या नुकसान पहुँचाया गया है, और जिस दशा में खर्चा उपभोक्ता उठायेगा।

(2) यदि किसी बंद/त्रुटिपूर्ण मीटरिंग प्रणाली को, उसका पता चलने के दो माह की अवधि के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किया जाता तो, ऐसे पता चलने के बाद से लेकर तब तक जब तक कि मीटर प्रतिस्थापित नहीं हो जाता, विद्युत् शुल्क को अपवर्जित करते हुए, खण्ड 29 के अधीन तैयार किये गये उपभोक्ता के कुल बिल में, मासिक/पाक्षिक बिलिंग की स्थिति में तीसरे मासिक बिल से और द्विमासिक बिलिंग की स्थिति में दूसरे बिल से 5ः की रिबेट दी जायेगी।

32. चैक मीटर

यदि मुख्य मीटर कार्य करना बंद कर देता है और चैक मीटर, जहाँ कहीं भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, कार्य कर रहा है तो खण्ड 29 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपभोक्ता, चैक मीटर के आधार पर विद्युत् प्रभारों का संदाय करेगा।

33. खोया हुआ मीटर

यदि उपभोक्ता के परिसर से कोई मीटर खो गया है या चुरा लिया गया है, तो उपभोक्ता ऐसे मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में करेगा और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय का प्रत्यावर्तन, उपभोक्ता के खर्चे पर नये मीटर का संस्थापन हो जाने के पश्चात् किया जायेगा।

34. प्रदाय के प्रभारों की वसूली

(1) अनुज्ञप्तिधारी किसी उपभोक्ता को प्रदत्त विद्युत् के प्रभारों की वसूली उपभोक्ता को प्रतिमाह या ऐसे अन्तरालों पर जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियत किये जायें, दिये जाने वाले बिल के आधार पर करेगा।

(2) बिल में उपभोक्ता के उस प्रवर्ग और उसके मीटरिंग (होल करण्ट मीटर, सीटी. ऑपरेटेड मीटर, ट्राइवेक्टर मीटर आदि) के प्रकार से सुसंगत सभी महत्त्वपूर्ण सूचनाएं अन्तर्विष्ट होंगी जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित हैः–

(क) उपभोक्ता का प्रवर्ग साफ शब्दों में, जैसे कि घरेलू (ग्रामीण), घरेलू (नगरीय), अघरेलू , पब्लिक स्ट्रीट लाईट, कृषि (मीटर से प्रदाय/फ्लेट रेट), 24 घंटे प्रदाय वाली से भिन्न कृषि, फार्म–हाउस, 24 घंटे प्रदाय वाली, कृषि लघु, मध्यम और वृहत् उद्योग, मिश्रित लोड, पीएचईडी, ट्रेक्शन आदि

(ख) मीटर पठन का दिनांक

(ग) पूर्ववर्ती मीटर पठन
(घ) वर्तमान मीटर पठन
(ड.) बिल के जारी किये जाने का दिनांक
(च) संदाय के लिए नियत दिनांक
(छ) नियत प्रभार
(ज) ऊर्जा प्रभार
(झ) न्यूनतम बिलिंग राशि
(ञ) विलम्बित संदाय–अधिभार/अतिविलम्बित संदाय–अधिभार
(ट) अन्य प्रभार
(ठ) विद्युत् शुल्क की राशि
(ड) किराया आदि
(ढ) प्रतिभूति की राशि
  (i) विद्युत् लेखे
  (ii) मीटर लेखे
(ण) संबंधित स.अ. का पूरा पता और दूरभाष संख्या
(त) शिकायत केन्द्र और शिकायत–निवारण–मंच का पूरा पता और दूरभाष संख्या

(3) बिल, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, दस्ती या डाक या फैक्स या ई–मेल द्वारा भेजे जा सकेंगे और भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए बिलों के जारी होने का दिनांक, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उपभोक्ता की सूचना के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जायेगा।

35. <u>अनुज्ञप्तिधारी को संदाय</u>

(1) अनुज्ञप्तिधारी को संदाय किये जाने के लिए अपेक्षित कोई भी रकम, नकद या किसी बैंक की स्थानीय शाखा पर अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित उपखण्ड अधिकारी के पक्ष में लिखे गये चैक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या पे आर्डर द्वारा संदत्त की जा सकेगी।

(2) विद्युत् प्रभारों के सभी बिलों का संदाय उनके जारी होने के दिनांक से बारह दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित उपखण्ड कार्यालय पर या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत उन अन्य वसूली केन्द्रों पर, जिन्हें स्थानीय समाचार–पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाये/बिलों पर मुद्रांकित किया जाय, या तो नकद या किसी बैंक की स्थानीय शाखा पर लिखे गये पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक या चैक द्वारा किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी प्रत्यय–पत्र या इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम के द्वारा भी संदाय प्राप्त कर सकेगा।

(3) यदि बिलिंग चक्र के अनुसार, संदाय का पाक्षिक रूप से किया जाना अपेक्षित है, तो उपभोक्ता को दो बिल जारी किये जायेंगे। एक बिल, बिल के जारी किये जाने वाले माह के प्रथम पखवाड़े के दौरान किये गये उपभोग के लिए होगा, जो कि अनंतिम आधार पर, पूर्ववर्ती माह के उपभोग के आधे भाग के बराबर होगा और वह माह के 15वें दिन या उसके पश्चात् जारी किया जायेगा ओर उसका संदाय उसके जारी होने के दिनांक से 12 दिनों के भीतर किया जायेगा। दूसरा बिल पूर्ववर्ती माह के अभिलिखित उपभोग के आधार पर, उसमें से पहले बिल के लेखे कर दिये गये संदाय को घटा देने के पश्चात् जारी किया जायेगा। दूसरा बिल उसके जारी होने के दिनांक से 12 दिनों के भीतर जमा कराया जायेगा।

(4) प्रदत्त विद्युत् के प्रभारों के साथ, किसी भी विधि के अधीन संदेय कोई कर, शुल्क या अन्य उद्ग्रहण, उपभोक्ता द्वारा संदेय होगा।

(5) यदि प्रदत्त विद्युत् के लिए या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संस्थापित किये गये उपकरणों के लिए कोई मासिक प्रभार, माह के किसी भाग के लिए वसूल किये जाने हैं तो उन्हें, माह में उन दिनों की संख्या के लिए अनुपाततः वसूल किया जायेगा जिनके दौरान प्रदाय किया गया था।

(6) उपभोक्ता को, संदाय के समय अपना बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसके बिना संदाय को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि उपभोक्ता ने बिल को खो दिया है या अन्यथा उसे एक अनुलिपि की आवश्यकता है तो बिल

की अनुलिपि उसे, उसके इस प्रभाव के लिखित आवेदन की प्राप्ति के तीन कार्य–दिवसों के भीतर, उन प्रभारों का संदाय करने पर, प्रदान की जायेगी, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आयोग के पूर्व अनुमोदन से विहित किये जायें।

36. विलम्बित संदाय–अधिभार

यदि कोई उपभोक्ता, बिल के जारी होने के बारह दिनों के भीतर उसका संदाय करने में असमर्थ रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय–समय पर नियत की गयी दर पर, संदाय में विलम्ब के लिए अधिभार वसूल करने का हकदार होगा।

37. अतिरिक्त राशि का प्रतिदाय

यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा नियत टैरिफ से अधिक प्रभार वसूल कर लेता है तो, अनुज्ञप्तिधारी, वसूल की गयी उस अतिरिक्त राशि का प्रतिदाय, उस व्यक्ति को, जिससे उसे वसूल किया गया है, उस वर्ष की, जिस वर्ष राशि को वसूल किया गया था, 1 अप्रैल को विद्यमान भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर के समतुल्य ब्याज के साथ, करेगा।

38. प्रदाय का डिस्कनेक्शन

(1) यदि कोई व्यक्ति प्रदत्त विद्युत् के प्रभारों का, या ऐसी किसी अन्य रकम का जो कि उसकी और से अनुज्ञप्तिधारी को देय है, संदाय करने में उपेक्षा करता है तो अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे व्यक्ति को कम से कम पंद्रह पूरे दिनों का लिखित नोटिस देने के पश्चात्, विद्युत् का प्रदाय काट सकने का हकदार होगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित संदाय करने का सबूत पेश कर देता है या अभ्यापत्ति सहित निम्नलिखित जमा करा देता है तो विवाद के निपटारे तक उसका प्रदाय नहीं काटा जायेगाः

(क) उस राशि के बराबर रकम जिसका दावा उससे किया गया है, या

(ख) पूर्ववर्ती छह महीनों के दौरान उसके द्वारा संदत्त विद्युत् के औसत प्रभार के आधार पर संगणित प्रत्येक माह के लिए उसकी ओर से देय विद्युत् प्रभार, इनमें से जो भी कम हो।

39. पिछली बकायाओं की वसूली

(1) किसी उपभोक्ता की ओर से, विद्युत् के प्रभारों के लेखे देय कोई रकम या विद्युत् के किसी प्रभार से भिन्न कोई रकम उस दिनांक से, जब वह पहली बार बकाया हुई थी, दो वर्ष की अवधि के पश्चात् तब तक वसूल किये जाने योग्य नहीं होगी जब तक कि ऐसी रकम को लगातार बकाया के रूप में न दर्शाया जाता रहा हो, और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् का प्रदाय नहीं काटेगा।

(2) बकायाओं की वसूली करने से पहले, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को, बकायाओं के ब्यौरे देगा और उसके अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

40. प्रदाय का प्रत्यावर्तन

(1) ऐसा व्यक्ति, जिसका प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी की बकायाओं का संदाय न किये जाने के कारण काट दिया गया है, प्रदाय के प्रत्यावर्तन के लिए ऐसे प्ररूप में आवेदन कर सकेगा जिसे अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन से विहित करे। प्रदाय के प्रत्यावर्तन के लिए किये गये आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए यदि वह डिस्कनेक्शन के दिनांक से–

(क) कृषि उपभोक्ता के मामले में दो वर्ष के भीतर,

(ख) औद्योगिक उपभोक्ता के मामले में एक वर्ष के भीतर, और

(ग) अन्य उपभोक्ताओं के मामले में छह माह के भीतर

किया जाता है। उपर्युक्त अवधि के पश्चात् आवेदन करने वाले व्यक्ति को नया आवेदक माना जायेगा।

(2) उपखण्ड(1) के अधीन के आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, डिस्कनेक्शन के दिनांक तक अनुज्ञप्तिधारी को आवदेक की ओर से देय रकमों और डिस्कनेक्शन के बाद के असंदाय के प्रत्येक पूरे माह के

लिए, 10: वार्षिक की दर से उस पर लगे ब्याज की सूचना उसे देगा। संदाय में विलम्ब पर लगे अधिभार पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक द्वारा संदेय उन रिकनेक्शन प्रभारों की भी सूचना देगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, उपखण्ड(2) के अधीन प्रज्ञापित रकम और ऐसे अतिरिक्त ब्याज, जो जमा के दिनांक तक देय हो गया हो सकता है, तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट रिकनेक्शन प्रभार के जमा कराये जाने के तीन दिनों के भीतर, आवेदक को विद्युत् के प्रदाय का प्रत्यावर्तन करेगा।

41. विद्युत् संयंत्र आदि के साथ गड़बड़ करना,उसे संकट में डालना या नुकसान पहुंचाना

(1) किसी उपभोक्ता द्वारा विद्युत् संयंत्र, विद्युत् लाइनों या मीटर के साथ गड़बड़ किये जाने उसे संकट में डाले जाने या नुकसान पहुँचाये जाने के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी, आधिनियम के उपबन्धों के अधिन की अन्य कार्रवाई के साथ–साथ, ऐसे विद्युत् संयंत्र, विद्युत् लाइनों या मीटर की मरम्मत या प्रतिस्थापन के व्यय की वसूली, आवेदक से कर सकेगा और उसके प्रदाय को डिस्कनेक्ट कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को उपखण्ड (1) के अधीन व्यय वसूल करने के लिए अग्रसर होने या उसके प्रदाय को डिस्कनेक्ट करने से पूर्व, कम से कम सात दिन का नोटिस देगा और उसके स्पष्टीकरण पर विचार करेगा।

(3) जिस संयंत्र, लाइन या मीटर में गड़बड़ किया गया है या नुकसान पहुँचाया गया है उसकी मरम्मत हो जाने या उसके प्रतिस्थापित हो जाने के पश्चात् प्रदाय का प्रत्यावर्तन किया जायेगा।

42. परिसर में प्रवेश करने की अनुज्ञप्तिधारी की शक्ति

(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति, किसी भी सुसंगत समय पर, और अधिभोगी को अपने आशय की सूचना देकर, प्रदाय को डिस्कनेक्ट करने, मीटर को हटाने, विद्युत् लाइनों या विद्युत् संयंत्र या विद्युत् मीटर के प्रतिस्थापन, परिवर्तन या अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसे परिसर में, जिसमें उसके द्वारा विद्युत् का प्रदाय किया जाता हो या किया गया हो या ऐसे परिसरों में, जिनका उपयोग सर्विस लाइनें उपलब्ध कराने में किया गया हो या ऐसे परिसरों में जिनमें भूमिगत या शिरोपरि सर्विस लाइन डाली गयी है, प्रवेश कर सकेगा।

(2) जहाँ कोई उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को, उप खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए अपने परिसरों या भूमि में प्रवेश करने देने से इनकार कर देता है या प्रवेश कर लेने पर, उसे वह कार्य करने देने से इनकार कर देता है जिसे करने के लिए वह प्राधिकृत है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता पर एक लिखित नोटिस की तामील से चौबीस घंटों की समाप्ति के पश्चात् उपभोक्ता के प्रदाय को काट सकेगा।

(3) प्रदाय तब तक बंद रहेगा जब तक कि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति को परिसर में प्रवेश करने और उप–खण्ड (1) के अधीन का अपना कार्य नहीं करने देता किन्तु इससे आगे नहीं।

43. कनेक्ट किये गये लोड/मांग में वृद्धि

(1) यदि किसी उपभोक्ता को अपने कनेक्ट किये गये लोड/मांग में वृद्धि की आवश्यकता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से विहित प्ररूप में आवेदन करने की और उन सुसंगत व्ययों का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिन्हें, सेवा के स्वरूप और उपभोक्ता के प्रवर्ग के लिए अनुसूची के अधीन, ऐसे लोड/मांग के लिए वसूल करने के लिए वह प्राधिकृत है।

(2) उपर्युक्त उपखण्ड (1) के अधीन व्ययों को वसूल करते समय, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उस राशि का समायोजन करेगा जिसका संदाय उपभोक्ता अपने विद्यमान लोड/मांग के लिए विद्युत् लाइन या संयंत्र के लिए पहले ही कर चुका है।

44. <u>सामान्य</u>

अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं और विद्युत् के प्रदाय के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए, आयोग के पूर्व अनुमोदन से, प्रदाय के निबन्धनों और शर्तों के संबंध में, इन विनियमों के उपबन्धों, अपनी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों तथा आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित टैरिफ के निबन्धनों और शर्तों के समनुरूप, ऐसे विस्तृत अनुदेश जारी करेगा जिनमें उपभोक्ताओं और अनुज्ञप्तिधारियों के संस्थापन की तकनीकी आवश्यकताओं से संबंधित विस्तृत सूचना, जैसी कि वह भारतीय विद्युत् नियम–1956 में समाविष्ट है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया, प्रतिभूति की आवश्यकता, उस करार, जो उपभोक्ता को विद्युत् के प्रदाय के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के साथ करना पड़ सकता है, उपभोक्ता के प्रवर्ग में परिवर्तन, कनेक्टेड लोड/संविदा मांग में वृद्धि/कमी, उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन या कनेक्शनों के स्थानान्तरण या अन्तरण, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी विविध सेवाओं के लिए प्रभारों से संबंधित उपबन्ध और ऐसे ही मामले समाविष्ट हैं।

आयोग के आदेश से,

ह.सचिव

प्रमाणित सत्य

प्रतिलिपि सचिव

अनुसूची

1. **आवेदन शुल्क** (खण्ड 6 को निर्दिष्ट करिए)

I- एलटी–प्रदाय के लिए

प) एलटी–सिंगल फेज़	200/–
पप) एलटी–थ्री फेज़	500/–

II. एचटी–प्रदाय के लिए

i) 11 केवी	1000/–
ii) 33 केवी	2000/–
iii) 132 केवी	4000/–
iv) 220 केवी	4000/–

2. **विद्युत् लाइन/संयंत्र उपलब्ध कराने और मुख्य वितरण प्रणाल और/या सर्विस लाइन के विस्तार के लिए व्यय**

(1) आवेदन के साथ जमा करायी जाने वाली राशि (खण्ड 6 को निर्दिष्ट करिए)

I- एलटी–प्रदाय के लिए

क्र.सं.	उपभोक्ता का प्रवर्ग	जमा करायी जाने वाली राशि (रु.)
1.	घरेलू	जनजाति उपयोजना – 750/– ग्रामीण – आबादी क्षेत्र में 1500/– कच्ची बस्ती – 2000/– नगरीय – 3000/–
2.	अघरेलू	ग्रामीण 1केडब्ल्यू तक का लोड – 2000/– 1केडब्ल्यू–5केडब्ल्यू – 3000/– 5केडब्ल्यू–10 केडब्ल्यू – 5000/– 10केडब्ल्यू से अधिक – 10 केडब्ल्यू से अधिक प्रत्येक केडब्ल्यू या भाग के लिए 250/– रु. की दर से अतिरिक्त रकम नगरीय 1केडब्ल्यू तक का लोड – 3000/– 1केडब्ल्यू–5केडब्ल्यू – 4000/– 5केडब्ल्यू–10 केडब्ल्यू – 6000/– 10केडब्ल्यू से अधिक – 10 केडब्ल्यू से अधिक प्रत्येक केडब्ल्यू या भाग के लिए 250/– रु. की दर से अतिरिक्त रकम
3.	पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग	5000 रूपये प्रति कनेक्शन। इसमें लाईन एवं तन्त्र की कीमत शामिल नही है।
4.	कृषि	ग्रामीण–सामान्य – 11,500/– नगरीय और फार्म हाउस – 12,200/–

5.	लघु अद्योग, मध्यम उद्योग और मिश्रित लोड	1केडब्ल्यू तक का लोड – 3000/– 1केडब्ल्यू–5केडब्ल्यू – 4000/– 5केडब्ल्यू–10 केडब्ल्यू – 6000/– 10केडब्ल्यू से अधिक – 10 केडब्ल्यू से अधिक प्रत्येक केडब्ल्यू या भाग के लिए 250/– रु. की दर से अतिरिक्त रकम

II- **एचटी–प्रदाय के लिए**

10,000/–रु.

III- **मीटर बक्सा/पैनल की लागत** (I या II के साथ, जैसी भी स्थिति हो)

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	रुपयों में राशि
1.	एलटी सिंगल फेज़ मीटर के लिए मीटर बक्सा	350/–
2.	एलटी 3 फेज मीटर(क्र.सं. 3 से भिन्न) के लिए मीटर बक्सा	950/–
3.	मध्यम उद्योग के लिए एलटी 3 फेज़ मीटर के लिए मीटर बक्सा	2000/–
4.	एचटी/ईएचटी प्रदाय के लिए मीटर बक्सा/पैनल	10,500/–

(2) **मुख्य वितरण प्रणाल/प्रदाय लाइन के विस्तार के लिए मांग पर जमा करायी जाने वाली अतिरिक्त रकम** (खण्ड 8 और 9 को निर्दिष्ट करिए)

I- **एलटी–प्रदाय के लिए**

क्र.सं.	उपभोक्ता का प्रवर्ग	उपर्युक्त '2 (1) (1)' के अधिन संदेय रकम के अतिरिक्त जमा करायी जाने वाली राशि
1.	घरेलू और अघरेलू (आबादी से परे नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में)	मुख्य वितरण प्रणाल और/या सर्विस लाइन के 300 मीटर से अधिक विस्तार के लिए– (क) सिंगल फेज प्रदाय के लिए : 100 रु./मीटर (ख) थ्री फेज प्रदाय के लिए : 150रु./मीटर
2.	पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग	वास्तविक कीमत एवं 50 प्रतिशत ओवर हैड़ चार्जेज
3.	कृषि	पहले खम्भे से आगे मुख्य वितरण प्रणाल और/या सर्विस लाइन के विस्तार के लिए – (क) सामान्यः 11,500 रु./70 मीटर के विस्तार वाला

		खंभा (ख) नगरीय/फार्म हाऊसः 12,200 रु./70 मीटर के विस्तार वाला खंभा
4.	लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और मिश्रित लोड	मुख्य वितरण प्रणाल और /या सर्विस लाइन के 50 मीटर से अधिक विसतार लिए– (क) सिंगल फेज प्रदाय के लिए : 100 रु. /मीटर (ख) थ्री फेज प्रदाय के लिए : 150 रु. /मीटर

I- एचटी–प्रदाय के लिए

(प) लाइन की लागत

निम्नलिखित मानक अनुमानित लागत पर आधारित पारेषण लाइनों, मुख्य वितरण प्रणालों और सहयुक्त सबस्टेशन बे के विस्तार की लागत :

के वी	**लाईन की विशिष्टियॉ**	**लम्बाई**	**लाईन/किमी की लागत**
11	एसीएसआर– वीजल वाले 8 मीटर पीसीसी खंभों पर एस/सी	70 मी	0.9 लाख रू.
11	एसीएसआर– वीजल वो 9 मीटर पीसीसी खंभों पर एस/सी	70 मी	1.0 लाख रू.
33	एसीएसआर–डॉग वाले 9 मीटर पीसीसी खंभो पर एस/सी	70 मी	3.9 लाख रू.
33	एसीएसआर– डॉग वाले 9 मीटर पीसीसी खंभों पर एस/सी	50 मी	6.1 लाख रू.
132	एसीएसआर–पैन्थर वाला एस/सी	335 मी	7.6 लाख रू.
132	एसीएसआर–पैन्थर वाला डी/सी	335 मी	13.5 लाख रू.
220	एसीएसआर–जेब्रा वाला एस/सी	335 मी	12.6 लाख रू.
220	एसीएसआर– जब्रा वाला डी/एस	335 मी	22.2 लाख रू.

जोड़िये

(ii) संयंत्र की लागत के लेखे

संविदा मांग के प्रत्येक केवीए के लिए 250/– रु.

घटाइए

(iii) जमा राशि

उपर्युक्त मद 2 (1) (प्) के अनुसार आवेदन के साथ जमा की गयी राशि समायोजित की जायेगी।

3. मीटरों के लिए प्रतिभूति

क्र.सं.	**विशिष्टियाँ**	**राशि (रुपये)**
1.	ऊर्जा मीटर 1–फेज स्टेटिक टाइप (सभी क्षमताओं वाला)	350/–
2.	ऊर्जा मीटर 3–फेज 4 वायर स्टेटिक टाइप 10 – 40 एम्पी 10 – 60 एम्पी	 650/– 650/–
3.	ऊर्जा मीटर 3–फेज 4 वायर सी.टी आपरेटेड 100/5एम्पी	650/–

4.	एल.टी. ट्राइवेक्टर मीटर (स्टेटिक)	8,000/–
5.	एच.टी. ट्राइवेक्टर मीटर– 0.5 वर्ग	8,000/–
6.	एलटी सीटी– वर्ग 0.5 बर्डन 15 वीए, बेकेलाइट टाइप	600/–
7.	एलटीसीटी– वर्ग 0.5 बर्डन 10 वीए, रेसिन कास्ट टाइप	300/–
8.	11 केवी सीटीपीटी सेट – सभी रेटिंगें	20,000/–
9.	33 केवी सीटीपीटी सेट – सभी रेटिंगें	50,000/–
10.	ईएचटी सीटी – सभी रेटिंगें (प्रति सेट)	2,80,000/–
11.	ईएचटी पीटी – सभी रेटिंगें (प्रति सेट)	5,80,000/–

4. <u>सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से प्रतिभूति निक्षेप</u>
(ऊर्जा और मीटर के लेखे)

आवास का प्रकार	प्रतिभूति की निक्षेप राशि
'ए' टाइप	800/– रु.
'बी' टाइप	500/– रु.
'सी' टाइप	300/– रु.
'डी' टाइप	200/– रु.
'ई' टाइप	200/– रु.
'एफ' टाइप	150/– रु.
'जी' टाइप	150/– रु.
'एच' टाइप	150/– रु.

5. <u>किराया प्रभार</u>

<u>(1) मीटर किराया</u>
आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार

<u>(2) ट्रांसफॉर्मर किराया</u>

जिन उपभोक्ताओं से एचटी पर प्रदाय लेने की अपेक्षा है और जो निगम के ट्रांसफॉर्मर और डबल पोल स्ट्रक्चर (डी.पी.) का विकल्प देते हैं उन पर निगम द्वारा ट्रांसफॉर्मर के संस्थापन के लेखे निम्नलिखित दरों पर किराया प्रभारित किया जायेगाः

(क) 60 केवीए तक की संविदा मांग के लिए	2500/– रु. प्रतिमाह
(ख) 60 केवीए से अधिक किन्तु 100 केवीए तक की संविदा मांग के लिए	3000/– रु. प्रतिमाह

(ग) 100 केवीए से अधिक किन्तु 160 केवीए तक की संविदा मांग के लिए	4000/– रु. प्रतिमाह
(घ) 160 केवीए से अधिक संविदा मांग के लिए	ट्रांसफॉर्मर और डबल पोल स्ट्रक्चर की लागत के 2: प्रतिमाह की दर से

(3) अन्य उपकरण

विशिष्टियां	प्रभार
(क) एल.टी करण्ट ट्रांसफॉर्मर	100/–रु. प्रतिसेट प्रतिमाह
(ख) 11 केवी सीटीपीटी सेट	900/– रु. प्रतिसेट प्रतिमाह
(ग) 33 केवी सीटीपीटी सेट	2200/– रु. प्रतिसेट प्रतिमाह
(घ) ईएचटी सीटीपीटी सेट	9000/– रु. प्रतिसेट प्रतिमाह

6. अस्थायी कनेक्शन के लिए लाइन और संयंत्र प्रभार

(1) नियत प्रभार

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	प्रभार
(प)	5 केडब्ल्यू तक का एलटी प्रदाय	250/–रु. प्रति कनेक्शन
(पप)	5 केडब्ल्यू से अधिक और 25 केडब्ल्यू तक का एलटी प्रदाय	500/–रु. प्रति कनेक्शन
(पपप)	25 केडब्ल्यू से अधिक और 50 केडब्ल्यू तक का एलटी प्रदाय	1000/–रु. प्रति कनेक्शन
(पअ)	11 केवी या 33 केवी प्रदाय	3000/–रु. प्रति कनेक्शन

नोटः उपर्युक्त नियत प्रभारों में सीटी और सीटीपीटी सेटों का एक माह तक की अवधि का किराया सम्मिलित है। यदि अस्थायी कनेक्शन की अवधि एक माह से अधिक है, तो सीटी/पीटी का किराया एक माह की अवधि से ऊपर के दिनों की संख्या के लिए, प्रतिदिन के आधार पर, प्रभारित किया जायेगा।

(2) लाइन की लागत के लेखे प्रभार

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	प्रभार
(i)	एलटी लाइनें	
(क)	सिंगल फेज़	25/– रु. प्रति मीटर
(ख)	थ्री फेज़	37.50रु. प्रति मीटर
(ii)	9 मीटर पीसीसी खंभों पर 11 केवी सिंगल सर्किट लाइन	25000/–रु. प्रति किमी
(iii)	9 मीटर पीसीसी खंभों पर 33 केवी सिंगल सर्किट लाइन	1,00,000/–रु. प्रतिकिमी

(3) ट्रांसफॉर्मर के लेखे प्रभार (यदि अपेक्षित हों)

(क) ट्रांसफॉर्मर के संस्थापन और उसे हटाने का प्रभारः 1000/– रु.
(ख) ट्रांसफॉर्मर का किराया : 5(2) में विहित समान्य प्रभारों का 80:

7. रिकनेक्शन प्रभार

सेवा का प्रकार	राशि
(क) लो टेंशन सेवा	
(i) सिंगल फेज़	200/–रु.
(ii) पोली फेज़	600/–रु.
(ख) हाई टेंशन सेवा	2000/–रु.
(ग) अतिरिक्त हाई टेंशन सेवा	10000/–रु.

उपाबन्ध–1

कनेक्शन लोड के अवधारण के लिए प्रक्रिया
(संदर्भ **विनियम 2(2)**)

आवेदक, इन विनियमों के **विनियम 2(2)** में विहित परिभाषा के अनुसार, वास्तविक कनेक्टेड लोड के लिए एल–फार्म देगा। तथापि, प्रदाय की शर्तों के अधिन किन्हीं प्रभारों के उद्ग्रहण के, या विविध सेवाओं के प्रभारों के या विद्युत् के प्रदाय के लिए टैरिफों के प्रयोजन के लिए और प्रदाय के वोल्टेज को विनिश्चित करने के लिए भी, एलटी उपभोक्ताओं के मामले में कनेक्टेड लोड का अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा। आवेदक को मंजूरी के लिए लोड की गणना तदनुसार करने की सलाह दी जाती है।

1.	बल्ब/पंखा	प्रत्येक के लिए 60 वॉट
2.	ट्यूब लाइट	प्रत्येक के लिए 40 वॉट
3.	लाइट प्लग (5 एम्पी.)	प्रत्येक के लिए 60 वॉट
4.	टेलीविजन (क) रंगीन (ख) ब्लैक एण्ड व्हाइट	 100 वॉट 60 वॉट
5.	पावर प्लग (15 एम्पी.)	प्रत्येक के लिए 500 वॉट
6.	फ्रिज	250 वॉट
7.	डेज़र्ट कूलर	250 वॉट
8.	गीज़र	1500 वॉट
9.	एयर कंडीशनर 1/1.5 टन	1500 वॉट/2200 वॉट
10.	वाटर लिफ्टिंग पम्प 0.25 एचपी या 0.5 एचपी	180 वॉट या 360 वॉट (पम्प के अनुसार) या उपकरण की मूल रेटिंग (नेम प्लेट और विनिर्देश) के अनुसार

11.	आर्क / इन्डक्शन फरनेस	600 केवीए प्रति टन फरनेस–क्षमता
12	कोई अन्य मोटर / डिवाइस	रेटेड क्षमता या टेस्टिंग के अनुसार

नोटः

1) उपर्युक्त क्र.सं. 1 से लेकर 5 तक के लिए कुल लोड पर निम्नलिखित विविधता के साथ विचार किया जायेगाः
   क. घरेलू – 30ः
   ख. पब्लिक स्ट्रीट लाइट – 100ः
   ग. अन्य – 80ः

2) यदि कोई उपकरण प्लग पांईट से कनेक्ट किया गया है, तो उपकरण का लोड या प्लग पॉइंट– रेटिंग, जो भी अधिक हो, ली जायेगी। ऐसे मामले में, प्लग पांईट के लोड की गणना अलग से नहीं की जायेगी।

3) यदि गीजर और एयर कन्डीशनर, दोनों लगाये गये हैं तो केवल एक उपकरण की उच्चतर रेटिंग पर विचार किया जायेगा।

4) कनेक्टेड लोड का निर्धारण करने के लिए अग्नि परित्राण उपकरणों के लोड पर विचार नहीं किया जायेगा।